कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बलरामपुर–रामानुजगंज
मुख्यालय बलरामपुर (छ.ग.)

: : निविदा सूचना : :

बलरामपुर, दिनांक 08/09/2016

क्रमांक/ 1315 /निर्वा.नामा./81–14/2017 : : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2017–18 हेतु जिले के 03 विधानसभा क्षेत्रों के 629 मतदान केन्द्रों के फोटोयुक्त मतदाता सूची के मुद्रण कार्य एवं बी.एल.ओ. वर्किंग कॉपी मुद्रण का कार्य हेतु नीचे दिये शर्तों के अधीन इच्छुक फर्मों से बंद लिफाफे में निविदा **दिनांक 28.09.2017 को सांय 3.00 बजे** तक आमंत्रित की जाती है। फर्मों से प्राप्त निविदा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अन्य सदस्यों द्वारा **दिनांक 28.09.2017 को सांय 4.00 बजे** निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी।

निविदा की शर्तें :–

1. निविदा के तहत् निविदाकार को अपने निविदा के साथ अमानत राशि रूपये 20,000/– (बीस हजार रूपये मात्र) का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किया गया बैंक ड्राफ्ट जो कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बलरामपुर के नाम से देय होना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। असफल निविदाकारों के अमानत राशि तत्काल वापसी योग्य होगा। सफल निविदाकारों की अमानत राशि की वापसी सफलतापूर्वक कार्य पूर्ण होने के उपरांत किया जावेगा।
2. फोटोयुक्त मतदाता सुची पेपरशीट के दोनों ओर प्रिंट करना होगा तथा बी.एल.ओ. वर्किंग कॉपी पेपरशीट के एक ओर/दोनों ओर) प्रिंट होगा। इसके अनुसार प्रति पृष्ठ (दोनों ओर/एक ओर) हेतु प्रिंटिंग दर समस्त प्रकार के टैक्स सहित अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
3. फोटोयुक्त मतदाता सुची (फोटोरोल) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप, साईज अनुसार लेजर प्रिंटर से कागज ए–4, 80 जीएसम का उपयोग कर डिजिटल प्रिंट की जावेगी – फोटो कॉपी नहीं।
4. निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करते समय फर्म की वैद्यानिकता, क्षमता एवं तकनीकी अनुभव, उपलब्ध कम्प्यूटर सिस्टम, प्रिंटर्स, आपरेटर्स तथा कार्य क्षमता पचास हजार प्रतिदिन लेजर प्रिंटर्स से डिजिटल प्रिंटिंग का कार्य क्षमता आदि के बारे में विवरण पृथक से निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदाकार को पांच लाख पेज का कम्प्यूटर लेजर प्रिंटिंग का कार्य अनुभव तथा मतदाता सूची से संबंधित पूर्व के कार्य अनुभव जो किया गया हो, के बारे में कार्य विवरण पृथक से संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदाकार को आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।
7. निविदाकार को पेन नम्बर, टीन नम्बर, जीएसटी नम्बर की प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. चयनित फर्म को पी0डी0एफ0 डाउनलोड कर मतदाता सूची मुद्रण का कार्य नियत समयावधि में करना होगा।
9. फोटोयुक्त मतदाता सुची/बी.एल.ओ. वर्किंग कॉपी सभी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्रवार (भागवार) तैयार की जावेगी।
10. प्रत्येक मतदान केन्द्रों को फोटोयुक्त मतदाता सुची के द्वितीय पृष्ठ उस भाग का नजरी नक्शा भी प्रिंट होगा। डिजिटल मैप की डाटा सी.डी. जिला निर्वाचन कार्यालय बलरामपुर से प्रदाय की जावेगी।
11. चयनित फर्म के द्वारा मतदाता सूची/वर्किंग कॉपी का मुद्रण कार्य निर्धारित समय में नहीं करने पर रूपये 1000/– (रूपये एक हजार मात्र) प्रतिदिन के मान से अर्थदण्ड से दंडित किया जा सकता है।
12. मतदाता सूची के पी.डी.एफ की छपाई में त्रुटि होने पर देयक का भुगतान नहीं किया जावेगा।
13. उपरोक्त निविदा के संबंध में किसी भी वाद–विवाद पर अंतिम निर्णय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बलरामपुर को होगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित)

8/9/2017

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
कृते–जिला निर्वाचन अधिकारी
बलरापमुर–रामानुजगंज (छ.ग.)

D:\Firdaush Ahmed\Latter & Notsheet\Latter Paid Election(2).doc

पृ.क्रमांक / 1316 / निर्वा.नामा. / 81–14 / 2017 बलरामपुर दिनांक 08 / 09 / 2017

1. **मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,** छ.ग. रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,(समस्त) छत्तीसगढ़ को उनके सूचना पटल में चस्पा हेतु सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. **संचालक,** जनसंपर्क कार्यालय, (विज्ञापन शाखा) छ0ग0 शासन, ए भूतल, इन्द्रावती भवन नया रायपुर के समाचार पत्रों में समाचार के रूप में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।
4. **सहायक संचालक,** जनसंपर्क बलरामपुर को स्थानीय समाचार पत्रों में समाचार के रूप में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) बलरामपुर को बलरामपुर जिले के वेबसाईट www.balrampur.gov.in में अपलोड हेतु सूचनार्थ।
6. सर्व अनुविभागीय अधिकारी(रा0) जिला बलरामपुर को अग्रेषित।
7. सर्व तहसीलदार, जिला बलरामपुर–रामानुजगंज को अग्रेषित।
8. सुचना पटल में चस्पा हेतु।

8/9/2017

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
हेतु–जिला निर्वाचन अधिकारी
बलरापमुर–रामानुजगंज (छ.ग.)